



मध्यप्रदेश शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक / 308/09 / सीसी / अडलीस,

भोपाल, दिनांक 30/5/09

प्रति,

कुलपति,
समस्त विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश ।

NOCCD
dit yr upload at
30.5.2009

विषय:-स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति हेतु स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम के अध्यादेश में संशोधन की कार्यवाही ।

-0-

महामहिम कुलाधिपति जी द्वारा, विभागीय प्रस्ताव पर, प्रदेश के महाविद्यालयों में संचालित सत्र 2008-09 के स्नातकोत्तर सेमेस्टर पद्धति के पाठ्यक्रम के अध्यादेश की कंडिका 12 के मुख्य एवं प्रथम परन्तुक के वर्तमान प्रावधान के स्थान पर निम्नानुसार प्रावधान प्रतिस्थापित किये जाने की अनुमति दी गई है :-

In post graduate courses if a candidate fails to clear two papers out of four papers of the semester, he shall be permitted to appear in the next semester and if a candidate fails to clear more than two papers out of eight papers (four of first semester, four of second semester) then he shall be permitted to appear as ex-student. At any given time in each semester, the student shall not be allowed to carry more than two papers as ATKT.

उपरोक्त स्वीकृति महामहिम कुलाधिपतिजी के आदेशानुसार समन्वय समिति के आयोजन की प्रत्याशा में प्रदान की गई है । समन्वय समिति की आगामी बैठक में यह मामला अनुसमर्थन के रूप में प्रस्तुत किया जाए । अध्यादेश में संशोधन कर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर संशोधित अध्यादेश को अपलोड कराने की कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(सेवाराम)

प्रमुख सचिव

म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृ.क. / 309/09 / सीसी / अडतीस
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक 30/5/09

- 1- सचिव, महामहिम राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, भोपाल,
- 2- विशेष सहायक माननीय मंत्री जी उच्च शिक्षा, विभाग,
- 3- आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, सतपुडा, भवन, भोपाल,
- 4- कुल सचिव, समस्त विश्वविद्यालय म0प्र0की ओर आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।



प्रमुख सचिव
म0प्र0शासन, उच्च शिक्षा विभाग